बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार

वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)
अध्यक्ष
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)
महासचिव

अध्यक्ष : 2226623 (R)
महासचिव : 2286865 (R)

Truth Will Triumph

पत्र संख्या 3A

पटना
दिनांक 8-7-03

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव (नामसे),
राजस्व एवं भूमि सुधार आयुक्त,
बिहार, पटना ।

विषय:- श्रीमती वीणा प्रसाद, अंचल अधिकारी रहिका (मधुबनी) के अंचल अधिकारी - घोसवरी के पद पर स्थानान्तरण के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कृपया विभागीय अधिसूचना सं०-प्रशासा ०३/स्था०-८२८ दिनांक ३०-६-२००३ का कृपया निदेश करें । उक्त अधिसूचना संख्या- द्वारा श्रीमती वीणा प्रसाद, अंचल अधिकारी रहिका (मधुबनी) का स्थानान्तरण पटना जिला के घोसवरी अंचल अधिकारी के पद पर किया गया है । श्रीमती प्रसाद का अभी कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ है । भवदीय यदि अधिसूचना में अन्य महिला पदाधिकारी के पदस्थापन को देखें तो स्पष्ट होगा कि श्रीमती प्रसाद को किसी खास षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा है । भवदीय पटना क्या पूरे बिहार की भौगोलिक एवं वर्तमान आपराधिक स्थानों से स्वयं परिचित हैं । श्रीमती प्रसाद का नव पदस्थापित अंचल - घोसवरी सभी दृष्टि से अतिपिछड़ा होने के कारण अपराधियों का चारागाह है । यह पटना जिला का सर्वाधिक अपराधग्रस्त क्षेत्र है । यहां लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार आम बात है । यहां दिन के उजाले में ये सारी वारदातें होती है पर प्रशासन मूक बधिर हो देखती रहती है । ऐसी जगह में जहां पुरुष को दिन दहाड़े उठा ले जाता है एक महिला पदाधिकारी के साथ क्या घटना होगी यह भवदीय स्वयं महसूस करेंगे । ऐसी भी बात नहीं कि अन्य अंचल खाली पड़े नहीं हैं । मधुबनी जिला में ही, राजनगर अंचल, जहां के ये अतिरिक्त प्रभार में हैं, पंडौल अंचल एवं अन्य कई अंचलों में अंचल अधिकारी का पदस्थापन नहीं हुआ है । प्रत्येक विभाग, महिला पदाधिकारी के पदस्थापन में उदारता दिखाता है । राजस्व विभाग के अधिसूचना में भी यह परिलक्षित होता है, परन्तु मात्र श्रीमती प्रसाद को ही राज्य के सर्वाधिक अपराधग्रस्त क्षेत्रों एवं बीहड़ क्षेत्र जहां आम यातायात का साधन भी नहीं उपलब्ध है, क्यों पदस्थापित किया गया है । उनके साथ ऐसा भेदभाव एवं अन्याय

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार

जीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)
अध्यक्ष
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)
महासचिव

अध्यक्ष : 2226623 (R)
महासचिव : 2286865 (R)

Truth Will Triumph

त्र संख्या .... पटना
दिनांक ....

-२-

क्यों किया गया है इसे भवदीय छोड़कर और कौन समझ सकता है । ।

ऐसा नहीं है कि संघ विभाग के अधिकार क्षेत्र पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है या हस्तक्षेप करता है । संघ की ऐसी मंशा कदापित नहीं है । परन्तु संघ इस महिला पदाधिकारी के प्रति भवदीय से मानवीय मूल्यों के तहद ही न्याय की मांग करता है एवं अनुरोध करता है कि श्रीमती प्रसाद का पटना जिला के घोसवरी अंचल के पदस्थापन आदेश को रद्द कर इन्हें या तो मधुबनी जिला के ही खाली अंचलों यथा राजनगर पंडोल या अन्य अंचल में पदस्थापित करें या उन्हें वर्तमान पदस्थापन के स्थान पर ही कार्यकाल पूरा करने दें ।

आशा है भवदीय संघ के इस पत्र को संजीदगी से संज्ञान लेते हुए सहानुभूतिपूर्ण आदेश देने की कृपा करेंगें ।

विश्वासभाजन
ह०
(गंगाधर लाल दास)
महासचिव

ज्ञापांक 34 दिनांक 8.7.03

प्रतिलिपि, सचिव कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ। उनसे अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से भी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। इस संदर्भ में माननीय से वार्ता भी की गई है एवं अलग से अनुरोध भी किया गया है।

गंगाधर 8.7.03
(गंगाधर लाल दास)
महासचिव

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार

जीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)
अध्यक्ष

गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)
महासचिव

Truth Will Triumph

अध्यक्ष : 2226623 (R)
महासचिव : 2286865 (R)

पत्र संख्या 33

पटना
दिनांक 8.7.03

सेवा में,

सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः- श्रीमती वीणा प्रसाद, अंचल अधिकारी, रत्निका (मधुबनी) का स्थानान्तरण के विरुद्ध सामान्य प्रशासन में पदस्थापन हेतु अभ्यावेदन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित श्रीमती वीणा प्रसाद, अंचल अधिकारी रत्निका से प्राप्त अभ्यावेदन जो सीधे आपको भी दी गई है को मूल रुप में संलग्न करते हुए अनुरोध है कि श्रीमती प्रसाद को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा लगता है कि किसी षड़यंत्र के तहद ही पटना जिला के सर्वाधिक आपराधिक क्षेत्र घोसवरी प्रखंड में अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है, क्योंकि उनका कार्यकाल अभी पूरा भी नहीं हुआ है । महिलाओं के पदस्थापन में प्रत्येक विभाग उदारता दिखाती है । उन्हें सामान्यतया बीहड़ एवं यातायात से वंचित क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्र जहां प्रारंभिक संरचना से जुड़े सुविधाओं का अभाव रहता है, पदस्थापन में सावधानी बरती जाती है । अंचल पदाधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश में अन्य महिला पदाधिकारियों के मामले में ऐसा स्पष्ट प्रतीत भी होता है । फिर श्रीमती वीणा प्रसाद के प्रति ही अन्याय क्यों की गई है जिस षड़यंत्र के तहद उनका स्थानान्तरण ऐसे आपराधिक पृष्ट भूमि के क्षेत्र में पदस्थापित किया गया है, वह पूरा करने में पदाधिकारी सक्षम नहीं है । यदि महिला पदाधिकारी ऐसे स्थान पर योगदान करती है तो जहां उसे अकेले रहना पड़ेगा तो इज्जत आबरु बच पाना संभव नहीं है ।

उक्त स्थिति में संघ के माध्यम से भी आपसे अनुरोध है कि श्रीमती प्रसाद की सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से वापस लेकर इन्हें सामान्य प्रशासनिक में मधुबनी / दरभंगा में पदस्थापित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन
8-7-03
(गंगाधर लाल दास)
महासचिव

सेवा में,

सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से सेवा वापस लेकर सामान्य प्रशासन में पदस्थापन के संबंध में ।

महाशय,

सविनय निवेदन यह है कि अधिसूचना संख्या-828/ज्ञापसं03/स्था, दिनांक- 30-06-03 के द्वारा मेरा स्थानान्तरण अंचल अधिकारी, रहिका[मधुबनी] से घोसवरी[पटना] कर दिया गया है । इस के संबंध में मैं कहना चाहूँगी कि मैं इस अंचल में दिनांक-15-12-2000 से कार्यरत हूँ । मेरा कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी मेरा स्थानान्तरण एक ऐसे पिछड़े, उग्रवाद एवं सर्वाधिक आपराधिक प्रभावित क्षेत्र में कर दिया गया है, जहाँ नया अंचल होने के कारण न कोई आधारभूत संरचना एवं व्यवस्था है तथा वह क्षेत्र निर्जन है । आवागमन की कोई व्यवस्था नहीं है । ऐसी स्थिति में एक महिला पदाधिकारी का अकेले कार्य करना पूर्णतः असुरक्षित है ।

दूसरे मेरे पति मधुबनी जिला के आर०एम० कॉलेज, मधुबनी में कार्यरत हैं एवं बच्चे भी वहीं पढ़ाई करते हैं ।

अतः अनुरोध है कि उक्त कारणवश मेरी सेवा वापस कर जिला मुख्यालय[मधुबनी/दरभंगा] में कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में मेरी पदस्थापन करने का आदेश देने की कृपा प्रदान की जाए ।

विश्वासभाजन,

दि० 5.7.2003

वीणा प्रसाद
अंचल अधिकारी
रहिका (मधुबनी)